न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः— 44 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. पूनाराम पुत्र श्री भैराराम जाति जाट 2. हरूराम पुत्र श्री फुसाराम जाति जाट, निवासी पश्चिमी ढाणी, देवराजनाड़ा, लोहावट, तहसील लोहावट		1. सकील अहमद पुत्र अकबर खां जाति मुसलमान निवासी लोहावट जाटावास तहसील लोहावट 2. सरपंच ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास पंचायत समिति लोहावट जाटावास 3. सचिव / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास, पंचायत समिति लोहावट, तहसील लोहावट जिला फलौदी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज 1994 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास द्वारा मिसल संख्या 50 / 2017—18 एवं पट्टा संख्या 03 दायर दिनांक 01.05.2017 एवं जारी दिनांक 27.08.2017 जारी किया गया।

उपस्थित वकील —:

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 की ओर सेः— अधिवक्ता श्री गोपाल व्यास।

निर्णय दिनांकः— 25/9/2024

1. निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 प्रार्थीगण पूनाराम एवं हरूराम की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास द्वारा मिसल संख्या 50 / 2017—18 एवं पट्टा संख्या 03 दायर दिनांक 01.05.2017 एवं जारी दिनांक 21.08.2017 के विरूद्व पेश की है।
2. अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों / परिवार के नाम से एक पट्टा जोधपुर गर्वमेन्ट द्वारा पट्टा 16 / 50—51 मिसल नंबर 62 / 1948—49 दिनांक 27.01.1951 को जारी किया गया जिसका कुल नाम 1454451 / 2 मुखसरे वर्गगज है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा निहित है, जिसमें प्रार्थीगण निर्माण कार्य हेतु कार्य शुरू किया तो अप्रार्थी संख्या 01 ने सिविल न्यायालय से स्थगन का प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उक्त भूमि का पट्टा मेरे स्वयं के नाम से जारी किया हुआ है। जिसे पर पट्टे की प्रति प्राप्त कर निरस्त करवाने हेतु निगरानी याचिका आपके क्षेत्राधिकार में होने से अपीलांटगण ने अपील न्यायालय में पेश की है।
3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा के द्वारा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत पेश की गई जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रसीदे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या

01 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल व्यास ने वकालातनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, लोहावट जाटावास, पंचायत समिति लोहावट से मूल रेकर्ड तलब किया गया। जो प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से आदेश 11 नियम 1 व धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने जबाब नही देकर चाहकर निगरानी प्रार्थना पत्र पर बहस करने का निवेदन किया जिसे अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 03 दायर दिनांक 01.05.2017, उक्त पटटा पर दिनांक अंकित नही है, को सरपंच अकेले द्वारा जारी किया गया है। उपरोक्त पट्टे की प्रति ग्राम सेवक/सचिव के हस्ताक्षर नहीं है इससे साफ जाहिर है कि ग्राम पंचायत में उक्त पट्टा जारी नहीं किया गया है, न ही पट्टे की प्रक्रिया पूरी की गई है। सरपंच अकेले ने हस्ताक्षर करके जारी पट्टा विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त पट्टे के संबध में न तो ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन किया गया न ही ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र में आंवटित भूखण्ड की भूमि का आधिपत्य है, तो किस प्रकार व कब से कॉलम भरा हुआ नहीं है। आवेदन पत्र के साथ में पुरान गृह/घर का कोई उल्लेख नहीं किया हैं और मौका जांच रिर्पोट में पुराना घर बने होने का उल्लेख है। न ही उक्त पट्टा के संबध में कोई उजर एतराज सुना गया सरपंच अकेले ने बिना प्रक्रिया किये राजनैतिक चहेते को पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावे। उक्त भूखण्ड का पट्टा प्रार्थीगण के परिवार को जोधपुर गर्वमेन्ट द्वारा जरी किया जा चुका था जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता, प्रार्थीगण के स्वयं के पट्टा सुदा भूखण्ड को बेचने का अधिकारी ग्राम पंचायत को नहीं था। प्रार्थीगण के पट्टा में सरपंच जाटावास द्वारा क्रमांक 59/2012–13 दिनांक 04.02.2013 को वारिसान एवं स्वामीत्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है एवं पुनः ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास द्वारा क्रमांक 47 दिनांक 15.03.2015 को वारिसान एवं स्वामीत्व प्रमाण पत्र जारी किया है। इससे साफ जाहिर है कि विवादग्रस्त भूखण्ड प्रार्थीगण का है उसके उपरान्त भी सरपंच द्वारा अपने चहेते को विधि विरूद्व तरीके से पटटा जारी किया जो निरस्त योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्लयु 2010(4) पेज 3575 , आर.आर.टी.2020(1) पेज 563, आर.आर.टी. 2003(1) पेज 174 , आर.जे.टी. 2017(2) पेज 1546, आर.जे.टी. 2012(1) पेज 385 के उद्वरण भी पेश किये।

5. अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण के पूर्वजों व परिवारजनो के नाम से पट्टा जोधपुर गर्वमेन्ट द्वारा पटटा संख्या 16/50–51, मिसल संख्या 62/48–49 दिनांक 27.01.1991 को जारी किया गया जिसका कुल माप 1454451/2 मुखसरे वर्गगज है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित था। जिसमें प्रार्थीगण ने निर्माण कार्य किया गया तो अप्रार्थीगण ने सिविल न्यायालय में स्थगन का प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उक्त भूमि का पटटा मेरे स्वयं के नाम से जारी होना बताया जिसके पटटे की फोटो प्रति प्राप्त कर निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। उक्त उल्लेखित तथ्य जान बुझकर दुर्भावना से तोड–मरोड कर अंकित किये है न तो वादग्रस्त अप्रार्थीगण की भूमि के स्थल का प्रार्थी के पास पटटा है न ही मेजरमेन्ट ना ही अडौस–पडौस किसी भी बात से उक्त पटटा उल्लेखित अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे की भूमि से मेल खाते है।

अप्रार्थी द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है तथा जिसमें बाधा उत्पन्न करने पर अप्रार्थी ने निगरानीकर्ता के विरूद्व न्यायालय सिविल न्यायाधीश, लोहावट मे दीवानी वाद प्रस्तुत किया, जिसमें दीवानी विधि वाद संख्या 86/2021 शकिल अहमद बनाम पूनाराम में सिविल न्यायालय में दिनांक 14.07.2023 को उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए अप्रार्थी मोहम्मद हुसैन के पक्ष में निर्णय पारित किया। प्रार्थी की ओर से पटटा संख्या 16/50–51 प्रस्तुत किया है जो कि जोधपुर सरकार द्वारा जारी किया जाना प्रकट होता है उक्त दस्तावेज में यह कहीं भी प्रकट नही होता है कि वे विवादग्रस्त भूखण्ड से संबधित हो क्योंकि उक्त दस्तावेज में अंकित नाप व आसे पासे विवादग्रस्त भूखण्ड से बिल्कुल भिन्न है जिसे दौराने बहस अप्रार्थी साबित करने में प्रथम दृष्टया असफल रहे है कि विवादग्रस्त भूखण्ड किसी प्रकार से उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से संबधित है अथवा दस्तावेजों मे प्रदर्शित भूखण्ड को समाहित करता है। प्रार्थी द्वारा अपने आंवटित कब्जा सुद भूखण्ड का माप 30 गुणा 45 फुट यानि 1350 वर्गफुट बताते है समपृष्टि कारक दस्तावेज प्रस्तुत किये है। इस सिविल कोर्ट के निर्णय व फाईडिग से भी स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता का अप्रार्थी को जारी पटटा के भूखण्ड से न तो कोई संबध है और न ही उसके संबध में कोई स्वत्व स्पष्ट साबित है न ही निगरानीकर्ता ने निगरानी के साथ ऐसा कोई ठोस पुखत्या दस्तावेज व सामग्री पेश की जिससे सिविल न्यायालय की फाईडिग को न मानने की मजबूत वजह हो तथा इसके अतिरिक्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र/वारिस के संबध में प्रमाण पत्र विधि अनुसार जिला न्यायालय को ही प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है। सक्षम न्यायालय द्वारा जारी ऐसा कोई प्रमाण पत्र की प्रति/प्रतियां निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह स्पष्ट हो कि तथाकथित निगरानी कर्ता जिस पट्टे का उल्लेख कर रहा है, उस पट्टेधारियों का वह उत्तराधिकारी व वारिस हो। इसलिए प्रस्तुत निगरानी आधारहीन व गलत तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

6. उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस एवं दौराने बहस प्रस्तुत दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव विकास अधिकारी लोहावट से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्को पर विचार मनन किया गया।
7. अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र के विरूद्व आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई है। इसमें अन्य बिन्दुओ के साथ यह ऐतराज भी किया गया है कि प्रस्तुत निगरानी मियाद अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई है व न ही मियाद कण्डोन हेतु निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबध में बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक द्वारा आर.एल.डब्ल्यु 2002(4) (राज)–पेज 2284, डी.एन.जे. 2012 (2) राज–पेज 602, आर.जे.टी. 2016 (1) पेज 99, आर.एल.डब्ल्यु–1960 पेज 475 के उद्वरण प्रस्तुत करते हुए तर्क किया है कि धारा 97 के तहत मियाद 30 दिवस निर्धारित है जबकि प्रश्नगत पटटा 20.08.2017 का है, उसके विरूद्व 5 वर्ष की देरी के उपरान्त रिविजन प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि असाधारण विलम्ब के मामलों में प्रति पक्षकार के पक्ष में सारभूत अधिकार सृजित हो जाते है। हस्तगत निगरानी प्रकरण में 5 वर्ष का असामान्य विलम्ब हुआ तो पक्षकार को उपचार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उक्त तथ्यों के विरूद्व अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत निगरानी के लिए

कोई मियाद अवधि निर्धारित नहीं है। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा तर्क किया गया है कि प्रश्नगत पट्टा में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन नहीं कर पूर्व में पट्टाशुदा भूमि पर पुनः प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही की है। सरपंच ग्राम पंचायत को इस तथ्य की भली भांति जानकारी थी। इसके बावजूद पट्टा जारी किया गया है। अतः अवैध कार्यवाही को निरस्त किये जाने के लिए कानून में कोई मियाद अवधि निर्धारित नहीं है। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी बताया गया है कि प्रार्थीगण ने अपनी पट्टाशुदा भूमि पर निर्माण कार्य वर्ष 2022 में किया तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सिविल न्यायालय में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन पट्टा अपने नाम जारी होना बताया उसके बाद पट्टे की प्रति प्राप्त कर दिनांक 30.11.2022 को निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो जानकारी की तिथी से बिना विलम्ब किये शीघ्र प्रस्तुत की गई है। इस संबध में विद्वाना अभिभाषक द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय खण्डपीठ द्वारा दिनांक 23.10.2018 को निर्णीत **इंसाफ खान बनाम राज्य सरकार व अन्य** का उद्वरण प्रस्तुत किया है। हमने अभिभाषकगण के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया। इस संबध में हमारा अभिमत है कि धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत किये जाने के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा इस बाबत बताई गई 30 दिवस की मियाद अवधि निगरानी के लिए निर्धारित नहीं है। धारा 97(3) के तहत भी 90 दिवस की अवधि पुनर्विलोकन के लिए निर्धारित की गई है। इस संबध में न्यायालय का मत है कि पुनरीक्षण की शक्तियों के तहत किसी पंचायती राज संस्था या उसकी समितियों के द्वारा की गई कार्यवाही/निर्णय की जांच किये जाने के अधिकार राज्य सरकार/जिला कलक्टर को प्रदत्त है। पुनरीक्षण की उक्त धारा के तहत दी गई शक्तियां व्यापक है जो प्राथमिक एवं अपीलीय दोनों अधिकारीता तक विस्तृत है और इसके तहत किसी पंचायती राज संस्था द्वारा की गई कार्यवाही की नियमितता/वैधता एवं औचित्य के संबध में जांच कर उस आज्ञा या निर्णय को संशोधित करने/निरस्त करने या पुर्नविचार हेतु भेजने का अधिकार है। ऐसे मामले में जहां विधि मे मियाद अवधि निर्धारित नही है वहां पर युक्तियुक्त समय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। युक्तियुक्त अवधि क्या होगी, यह प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचन पर निर्भर है। प्रकरण में तथ्यों के परीक्षण से यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 158 के तहत भूखण्ड आंवटन के लिए निर्धारित शर्तो के संबध में पात्रता का निर्धारण किये बिना ही भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव तथा की गई कार्यवाहीयों की नियमितता, वैधता व औचित्य का परीक्षण किया जाना उचित है। अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना न्यायपूर्ण है।

8. प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के आधार के रूप में चार प्रमुख आधार प्रस्तुत किये गये है। उसमें एक आधार यह है कि विवादित भूखण्ड का पट्टा निगरानी कर्ता के परिवार को जोधपुर गर्वमेन्ट द्वारा पट्टा संख्या 16/25.01.1951 को जारी किया गया था। पूर्व में पट्टाशुदा भूखण्ड की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाना क्षेत्राधिकार से परे है। इस संबध में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आदेश 11 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये पट्टे की प्रति जो 1951 में जारी किया जाना है प्रस्तुत किया गया ,

की नाप व मेजरमेन्ट निर्धारित नहीं है, वह विवादित भूखण्ड के संबध नहीं रखती है। अप्रार्थी संख्या 01 को आंवटित भूखण्ड खसरा नंबर 435/1 गैर मुमकिन आबादी का हिस्सा है। जिसके संबध में ग्राम पंचायत का भूखण्ड आंवटित करने का पूर्ण अधिकार है। अतः ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास से यह प्रकटीकरण करवाया जाना आवश्यक है कि पट्टा संख्या 03 ग्राम पंचायत की गैर मुमकीन आबादी भूमि खसरा संख्या 435/1 में है या नहीं, एवं उक्त खसरा नंबर में अन्य व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये है या नही। उक्त प्रार्थना पत्र का प्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत न कर सीधे बहस की गई है। प्रार्थी के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम पंचायत की पत्रावली में कोई खसरा नंबर उल्लेखित नहीं है और ग्राम सेवक द्वारा नियम 145(3) के तहत कोई नक्शा तैयार नही किया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रक्रिया को देरी ना करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबध में हमारा मत है कि न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत जाटावास लोहावट का सम्पूर्ण अभिलेख तलब कर किया गया है। अतः पृथक से ग्राम पंचायत से कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ग्राम पंचायत को निगरानी में पक्षकार भी बनाया जाकर सूचित किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आज दिनांक तक कोई जबाब नहीं प्रस्तुत कर मूल अभिलेख जिसमें बैठक कार्यवाही विवरण पट्टा मिसल, रसीद बुक एवं संबधित पत्रावली प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण एवं पट्टा रजिस्टर आंवटन पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इसमें कही पर भी खसरा नंबर का उल्लेख नहीं है। प्रार्थी स्वयं द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (जो सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है) की प्रति प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टा खसरा नंबर 435/1 में जारी किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रकटीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्य पूर्ण नहीं है। अतः अस्वीकार किया जाता है।

9. निगरानी कर्ता द्वारा निगरानी के अन्य आधार में रूप में यह अंकित किया गया है कि विवादित भूखण्ड का पट्टा सरपंच अकेले के द्वारा जारी किया गया है। पट्टे की प्रक्रिया अकेले सरपंच द्वारा की गई है। इस संबध में अप्रार्थी अभिभाषक का तर्क है विवादित भूखण्ड के पट्टे पर सरपंच व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर किये गये है। यदि दोनों के हस्ताक्षर किये गये है तो सम्पूर्ण प्रक्रिया दोनों के द्वारा की गई माना जाना चाहिए। पट्टे की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर है किन्तु भूखण्ड की मिसल संख्या 50/2017–18 की आदेशिकाओ पर , आवेदन पत्र पर, पंचायत नक्शा फार्म पर, आबादी भूमि के निरीक्षण प्रपत्र पर, आपत्ति आंमत्रण के नोटिस पर एवं बयानों पर भी ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है। बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 27.08.2017 के अवलोकन से प्रकट होता है कि कार्यवाही विवरण में भूखण्ड आवंटन से संबधित प्रस्ताव संख्या 05 अलग हस्तलिपि में अंकित किया गया है। इसी प्रकार बैठक दिनांक 22.06.2017 के कार्यवाही विवरण में भूमि विक्रय हेतु भूमि मौका निरीक्षण बाबत 3 वार्ड पंचों की समिति गठन का प्रस्ताव लिया गया है किन्तु इसमें विवादित भूखण्ड की मिसल संख्या 50/2017–18 का अंकन नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही संदेहजनक है।

10. राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 140 से 156 तक में ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित आबादी भूमि के विक्रय एवं निष्पादन की प्रक्रिया निर्धारित की गई

है। नियम 142 के तहत आबादी भूमि के निष्पादन की दृष्टि से विकास योजना तैयार कर अनुमोदन कराने, भूखण्ड़ों के विकास किये जाने, विक्रय के लिए आवेदन प्राप्त करने आदि की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियम 146 के अनुसार सचिव ऐसे आवेदनों को रजिस्टर में अंकित करने एवं प्रत्येक आवेदन की फाईल तैयार किये जाने तथा स्थल निरीक्षण के लिए पंचो की कमेटी गठित करने हेतु पंचायत की बैठक में रखी जाने का दायित्व सचिव पर अधिरोपित किया गया है। नियम 145 के अनुसार भूखण्ड आवंटन के आवेदक द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करने व आवेदन के साथ स्थल नक्शा प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता है। प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ पंचायत नक्शा फार्म की प्रति प्रस्तुत है। परन्तु इस पर नक्शा बनाने वाले एवं ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, न ही नक्शें पर प्रस्तावित भूखण्ड के आस–पड़ौस अंकित किये गये है।

11. प्रकरण में ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास के अभिलेख अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित भूखण्ड विक्रय का निर्णय ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1956 के नियम 158(2) के तहत पुराने गृह के नियमतिकरण नियम के तहत किया गया है। उक्त नियम के तहत 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों , अनूसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी व्यक्तियों , एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों यायावर जनजातियों, गाड़िया लुहारों जिनके पास स्वयं कें गृहस्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। उक्तानुसार नियम 158 के तहत कमजोर वर्गो को रियायती दरों पर या निशुल्क भूखण्ड आवंटन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सर्वे कराकर पात्र परिवारों का चिन्हीकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसे परिवार जो भूमिहीन है या जिनके पास स्वंय के गृह स्थल नहीं है, उन परिवारों को उक्त नियम के तहत भूखण्ड आवंटन किया जा सकता है। इस प्रकार भूमि आवंटन हेतु आवेदक के कमजोर वर्गो में से किसी एक वर्ग के होने एवं उसके पास स्वयं के गृह स्थल/ गृह नहीं होने की अनिवार्य शर्त है। प्रकरण में मिसल पत्रावली में आवेदन पत्र के साथ भूमिहीन होने बाबत शपथ पत्र एवं अन्य साक्ष्य, कहीं भी गृह स्थल नहीं होने का मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य तथा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया है। मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा भी आवेदक की पात्रता के संबध में अर्थात गृह स्थल विहिन होने बाबत जांच एवं टिप्पणी नहीं की गई है। नियम 158 (2) में उक्त नियम के तहत देय रियायती दरो का प्रावधान किया है एवं 158(3) में ऐसी भूमि अन्तरणीय नहीं होने का प्रावधान किया गया है। आवेदक को भूखण्ड निशुल्क आवंटित किया गया है। जबकि नियम 158(2) के अनुसार रियायती दर पर राशि वसूल की जानी चाहिए थी या निशुल्क आवंटन हेतु आवश्यक आधार व साक्ष्य होने चाहिए थे। किन्तु पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य और दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

12. जहां तक आवंटन कार्यवाही नियमितता व वैध होने का प्रश्न है। इस संबध में ग्राम पंचायत के संबधित अभिलेख का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर प्रकट होता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड के आवंटन व विक्रय के संबध में प्रक्रिया जो राजस्थान पंयाचतीराज नियम 1996 के नियम 140–166 में निर्धारित है का सारभूत रूप से अनुपालना नहीं किया है। कमजोर वर्गो के व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन

प्राप्ति के लिए न तो व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना प्रकट होता है और न ही आवेदन के भूखण्ड आवंटन हेतु चयन का आधार स्पष्ट है। प्रकरण में नियम 148 के तहत आपत्तियां आंमत्रण हेतु नोटिस जारी किया जाना बताया गया है। नियम 148 (2) के तहत नोटिस की प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटायी जायेगी। उक्त नियम की पालना ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना प्रकट नहीं होता है। मूल मिसल के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा 27.08.2017 को यह निर्णय किया गया है कि आपत्तियां प्राप्त करने हेतु जारी नोटिस की मियाद 1 माह पूर्ण हो चुकी है। आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के बयान लिए गए। जहां तक बयानो का प्रश्न है प्रकरण में केवल आवेदक के बयान लिये गये है। उसमे भी यह कथन नहीं है कि आवेदित भूखण्ड पर प्रार्थी का पुराना कितने वर्षो से पुराना कब्जा है या आवेदक गृहहीन है तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। बयान में आवेदित भूखण्ड के उत्तर में गली होना अंकित किया गया है। जबकि पट्टे में उत्तर में खालसा होना का अंकन है। अतः इस प्रकार यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी आवेदन में नियम 158 के तहत पट्टा जारी किये जाने के लिए निर्धारित पात्रता का समुचित परीक्षण नहीं किया गया है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से आवेदित भूखण्ड पर पुराना गृह बने होने का साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ BPL होने बाबत शपथ पत्र भी संलग्न नहीं है। आवेदक की भूखण्ड आवंटन हेतु पात्रता सिद्व नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही नियमित व वैध नहीं है।

13. इसी प्रकार प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 160 के तहत किये गये भूमि अन्तरण बाबत सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी किया जाना प्रकट नहीं होता है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही संदिग्ध है एवं सत्यता से परे होना प्रतीत होती है।

14. अतः उक्त विवेचनानुसार निगरानीधीन पंचायत निर्णय दिनांक 27.08.2017 पट्टा संख्या 03 की कार्यवाही खारिज की जाती है। प्रकरण में विवादित भूखण्ड के संबध मे सिविल न्यायालय में दीवानी वाद प्रकरण संख्या 14/2022 विचाराधीन होना प्रतीत होता है तथा इसके तहत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 14.07.2023 को प्रकरण में विवादग्रस्त भूखण्ड के मौका व रेकर्ड की ताफैसला मूल वाद तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया गया है। अतः तदानुसार प्रकरण में यथास्थिति बनायी रखी जावें।

15 अतः उक्तानुसार निगरानी स्वीकार कर प्रकरण पंचायत समिति लोहावट को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति लोहावट निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 16/1951–52 के संबध में तथ्यों की जांच कर एवं तथ्यों का परीक्षण इस आशय से करे कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि वर्ष 1951 में जारी उक्त पट्टे की भूमि में सम्मलित है या उसके पृथक है। यदि उक्त पट्टे सच्चा/ वास्तविक/ प्रमाणिक है या नहीं। यदि उक्त पट्टा प्रमाणिक नहीं पाया जाता है या बनावटी है तो इसको खारिज किये जाने के लिए विधिक कार्यवाही आगामी 3 माह में किया जाना सुनिश्चित करे एवं यह भी निर्देश दिए जाते है कि पट्टा संख्या 03 दिनांक 21.08.2017 के संबध में परीक्षण कर आवेदक की पात्रता का निर्धारण करे और आवेदक की पात्रता यदि साक्ष्यों से

सिद्ध होती है तो नये सिरे से राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 व नियम 1996 के तहत नियमानुकूल प्रक्रिया अपनाई जाकर पुनः भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित करे।

16. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/9/2024 सरेइजलास सुनाया गया।

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर फलौदी